भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1438
7 दिसम्बर, 2021 को उत्तर देने के लिए

मिनी फूड पार्क विकसित करना

1438. सुश्री देबाश्री चौधरी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजना के तहत मिनी फूड पार्क विकसित करने के उपाय किए हैं;

(ख) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस योजना के लिए धनराशि को अनुमोदित और स्वीकृत करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार आर्गेनिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहकारी बैंक को किसानों को ऋण देने और हर साल अनुदान आवंटित करने के लिए तैयार है; और

(ङ) सरकार द्वारा कृषि प्रसंस्करण क्षेत्रों की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) अवसंरचना सृजन हेतु एक योजना कार्यान्वित कर रहा था। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक अवसंरचना का विकास करना है ताकि उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर निर्यात उन्मुख यूनिटों सहित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना में सामान्य क्षेत्रों में पात्र योजना लागत के 35% की दर से और पात्र परियोजना के 50% की दर से पूर्वोत्तर राज्यों जिसमें सिक्किम और दुर्गम क्षेत्र अर्थात हिमालयी राज्यों (जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखण्ड) राज्य अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्र, द्वीप और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी शामिल हैं जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक सीमित है, अनुदान सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह योजना दिनांक 31.03.2021 को बंद कर दी गई है।

(ख) और (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) पश्चिम बंगाल सहित देश में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता (सीईएफपीपीसी) सृजन/विस्तार के लिए एक योजना कार्यानवित कर रहा था। इस योजना के अंतर्गत पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता सामान्य क्षेत्रों में और पात्र परियोजना लागत का 50% सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड), अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों जो अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये तक सीमित है, सहित दुर्गम क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए सीईएफपीपीसी

योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एमओएफपीआई को निवेशकों/उद्यमियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब तक एमओएफपीआई ने सीईएफपीपीसी योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में 9 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को अनुमोदित किया है जिसमें 31.83 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है। सीईएफपीपीसी योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में अनुमोदित 9 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ): निर्यात बढ़ाने के लिए खेती और अपेक्षित अन्य सभी गतिविधियों के लिए समर्थन नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त के लिए एक पात्र गतिविधि है। नाबार्ड ने किसान उत्पादक संगठनों/कंपनियों को अपने उत्पादों का निर्यात करने में सक्षम बनाने के लिए अपीडा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ङ.): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र वृद्धि और विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना- प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित कर रहा था। पीएमकेएसवाई एक मांग संचालित कार्यक्रम है और पात्र आवेदकों को समय-समय पर एमओएफपीआई द्वारा जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 10000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित खंड में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, उनकी औपचारिकता को बढ़ावा देना और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) / स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) / उत्पादक सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ समर्थन देना है।

*****

अनुबंध

मिनी फूड पार्क के विकास के संबंध मे दिनांक 07.12.2021 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1438 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पश्चिम बंगाल राज्य में प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता (सीईएफपीपीसी) सृजन /विस्तार योजना के तहत अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का विवरण:

(करोड़ रुपये मे)

क्र.स.	आवेदक का नाम	जिला	सेक्टर	अनुमोदन की तिथि	परियोजना लागत (करोड़ रुपये)	अनुमोदित अनुदान (करोड़ रुपये मे)
1	मेसर्स महानंदा फूड प्रा लिमिटेड	दार्जिलिंग	एफ एंड वी प्रसंस्करण	07.12.2018	22.94	4.94
2	मेसर्स आर्सन लोज़ेंज फ़ैक्टरी	दार्जिलिंग	उपभोक्ता उत्पाद	29.05.2019	4.75	1.31
3	मेसर्स शिव इंडस्ट्रीज (खाद्य) प्रा लिमिटेड	मुर्शिदाबाद	अनाज मिलिंग	09.07.2019	18.43	5.00
4	मेसर्स आशीष प्रोटीन्स एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड	हावड़ा	उपभोक्ता उत्पाद	09.07.2019	3.29	1.06
5	मेसर्स ड्रीम बेक प्राइवेट लिमिटेड	हावड़ा	उपभोक्ता उत्पाद	22.08.2019	44.07	5.00
6	मेसर्स के पी साहा प्राइवेट लिमिटेड	ईस्ट बर्डवान	अनाज मिलिंग	02.03.2020	14.20	5.00
7	मेसर्स सूर्योदय पावर प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड	हावड़ा	अनाज मिलिंग	03.03.2020	5.88	1.71
8	मैसर्स एलेनबाई फूड एंड बेवरेजेस प्रा. लिमिटेड	हावड़ा	उपभोक्ता उत्पाद	13.03.2020	10.70	2.81
9	मेसर्स केपीएस एग्रो उत्पाद	हुगली	अनाज मिलिंग	11.03.2021	20.45	5.00